



2026:AHC-LKO:6443-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 39 सन 2026

रोहित सिंह

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	रवि शंकर तिवारी, राकेश कुमार वर्मा, शियोपाल सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।
2. अपीलकर्ता ने रिट न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी है कि न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि आदेश दंडात्मक प्रकृति का था और साथ ही उसके बेटे की चिकित्सीय स्थिति के कारण अपीलकर्ता को हो रही कठिनाई को भी अनदेखा किया है। संडीला में पूर्व तैनाती उसके बेटे के इलाज के लिए अधिक अनुकूल थी, जो वर्तमान में लखनऊ में चल रहा है, लेकिन अब उसी जिले में, लेकिन एक अलग तहसील यानी हरदोई में तैनाती से अपीलकर्ता और उसके परिवार को कठिनाई हो रही है।
3. हमने आक्षेपित निर्णय का अध्ययन किया है और अपीलकर्ता की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, हमें जिले के भीतर किसी अन्य तहसील में अपीलकर्ता की तैनाती किसी भी तरह से दंडात्मक नहीं लगती। यदि यह असुविधा का मामला है, तो अपीलकर्ता को स्थानांतरित स्थान

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर कार्यभार ग्रहण करना चाहिए और फिर सक्षम प्राधिकारी को लखनऊ के निकट किसी तहसील में स्थानांतरण पर विचार करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, यदि कोई कारण हो, अर्थात् यदि अपीलकर्ता के पुत्र की चिकित्सा स्थिति ऐसी हो कि उसे नियमित रूप से उपचार के लिए लखनऊ जाना पड़ता हो। तदनुसार, हम इस अपील का निस्तारण करते हुए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देते हैं कि जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपीलकर्ता के स्थानांतरण स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद, उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही से अप्रभावित रहते हुए, उसके पुत्र की बीमारी से संबंधित तथ्यों का सत्यापन करने के बाद निष्पक्ष रूप से उसके आवेदन पर विचार करें। ऐसा निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने के तीन सप्ताह के भीतर लिया जाना चाहिए। आक्षेपित आदेश को तदनुसार संशोधित किया जाता है। स्थानांतरण स्थान पर अपीलकर्ता का कार्यभार ग्रहण करना उपरोक्त निर्णय के अधीन होगा।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

जनवरी 29, 2026

शान्/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।